राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :– विज्ञापन सं. 03/2013–14 **दिनांक : 26.07.2013**

*आयोग द्वारा निम्नलिखित पद हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं–*

1. **लिपिक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा, 2013** (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत)

आवश्यक नोट :– संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो यह परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी ।

पद व विभाग	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1. लिपिक ग्रेड–II राजस्थान लोक सेवा आयोग	33	दिः 01.01.14 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।	रनिंग पे.बैण्ड–1 (5200–20200) ग्रेड पे (रू. 2400/–)
2. लिपिक ग्रेड–II (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय)	7538		

1. शैक्षणिक योग्यता –

"A. Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination,

And

B "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Or

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/ State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma in Computer Science/Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Verdhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited,"

2. अनिवार्य योग्यताः– Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

नोट :–1. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।

2. विभाग से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

3. उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष** में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

2. आयु सीमा में छूट :– पद की विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः–

(1) इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है–

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है :–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

नोट:–''उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।''

(3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे ंकारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।

(6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।

(7) एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

(8) कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(9) राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(10) सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(11) The upper age-limit for the Ex-service Personnel and the reservists, namely the Defence Service Personnel transferred to the reserve shall be 50 years.

(12) There shall be no restriction as to age for a candidate already serving in connection with the affairs of the State in a substantive capacity, or in a temporary capacity continuously having been so appointed prior to his/her attaining the age of 33 years.

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

3 परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण :– The Competitive Examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against it, namely :-

PAPERS	DURATION	MARKS
PHASE-I		
1- General Knowledge, Everyday Science and Mathematics	3 Hours	100
2- General Hindi and English	3 Hours	100
PHASE-II		
I- For candidates other than persons with disabilities :-		
1- Type – writing in Hindi on Computer		
(a) Speed Test	10 Minutes	25
(b) Efficiency Test	10 Minutes	25
2- Type-writing in English on Computer		
(a) Speed Test	10 Minutes	25
(b) Efficiency Test	10 Minutes	25

II-Person with disabilities will be given the average marks obtained by them in Phase-I.

Explanation :-

1 "Persons with disabilities" means a person who is eligible for appointment on the post of Clerk Gr.-II under the provisions of the Rajasthan Employment of the persons with Disabilities Rules, 2000 (Amended as the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011)

2 In proof of being so disabled, the candidate shall be required to submit a certificate issued by an officer not below the rank of Chief Medical and Health Officer at the time of submitting his application to the Commission for appearing in the examination.

3 The standard of the papers will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan. The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deem fit.

4 The Competitive Examination will be held in two phases-Phase-I and Phase-II. All the papers of Phase-I will be of objective type.

5 The marks obtained by a candidate in the Phase-I and Phase-II of the examination will be counted for determining their final order of merit.

6 It will be necessary for a candidate to do typing work on the computer and he will bring his own computer, pen and pencil for the test.

नोटः– न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में अभ्यर्थी संबंधित सेवा नियमों एवं अनुसूची का अध्ययन करें।

4. आवेदन तिथि – आवेदन 05.08.2013 से दिनांक 15.09.2013 रात्रि 12–00 बजे **तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

5 **अभ्यर्थी उपरोक्त विभागों के वरीयता विकल्प आवश्यक रूप से भरें ।**

6. **पाठ्यक्रमः–** इन पदों के पाठ्यक्रम शीघ्र आयोग की वेब–साइट पर जारी कर दिये जायेंगे।

7. **परीक्षा का माह एवं स्थान–** कनिष्ठ लिपिक पद की परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी ।

8. **अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** का अध्ययन कर लें, जो आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http:// www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव